

अखिल राजस्थान उच्च शिक्षा मंत्रालयिक कर्मचारी संघ (अरुस्मा)

(EMAIL ID : arusma2025@gmail.com)

प्रधान कार्यालय: SKIT कॉलेज के पास, रामनगरिया, जगतपुरा, जयपुर



क्रमांक: ARUSMA / प्रदेश / राज. / 2025 / 271-277

दिनांक:-13.08.2026

माननीय मुख्यमंत्री जी/उच्च शिक्षा मंत्री जी,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

श्रीमान् मुख्य सचिव
राजस्थान सरकार, जयपुर।

श्रीमान् उच्च शिक्षा सचिव/मुख्य सचिव
उच्च शिक्षा/कार्मिक विभाग, जयपुर।

श्रीमान् आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।

विषय:- वित्तीय वर्ष- 2026-27 की डीपीसी/पदोन्नति प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने एवं भविष्य में समयसीमा का पालन करवाने एवं अन्य समस्याओं के समाधान हेतु अनुरोध।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि उच्च-शिक्षा विभाग में वित्तीय वर्ष- 2026-27 की मंत्रालयिक संवर्ग की डीपीसी/पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण करने एवं भविष्य में डीपीसी की समयसीमा का पालन सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार निवेदन हैं :-

1. वर्तमान स्थिति एवं समस्याएँ

— उच्च-शिक्षा विभाग (कॉलेज शिक्षा विभाग) में मंत्रालयिक संवर्ग के विभिन्न पदों के लिए पदोन्नति (DPC) प्रक्रिया प्रायः वित्तीय वर्ष के अंत में या विलंब से की जाती है, जिससे कार्मिकों को नगद लाभ (कार्यग्रहण तिथि से) प्राप्त करने में देरी होती है और आर्थिक नुकसान होता है।

— वर्तमान में उच्च-शिक्षा विभाग (कॉलेज शिक्षा विभाग) में मंत्रालयिक संवर्ग के विभिन्न पदों के लिए वर्ष- 2026-27 की नियमित पदोन्नति प्रक्रिया (REGULAR DPC) अभी तक नहीं हुई है, जबकि जुलाई माह समाप्त हो चुका है। इसी के साथ ही स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज के चुनाव प्रस्तावित होने के कारण आगामी दिवसों में आदर्श आचार संहिता भी लागू होने वाली है। जिसके कारण पदोन्नति प्रक्रिया के लिए अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों को ओर अधिक इंतजार करना पड़ सकता है।

— इस विलंब से न केवल कार्मिकों को वित्तीय हानि होती है, बल्कि कर्मचारियों के मनोबल पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

— उच्च-शिक्षा विभाग (कॉलेज शिक्षा विभाग) के शैक्षणिक संवर्ग के समान ही मंत्रालयिक संवर्ग के विभिन्न पदों की पदोन्नति (DPC) प्रक्रिया संपादित होने के उपरांत पदोन्नति की रोस्टर पंजिका विगत अनेक वर्षों से विभागीय वेबसाइट पर जारी कर सार्वजनिक नहीं की जा रही है। जिससे कार्मिकों को पदोन्नति बाबत पदवार विभिन्न वर्गों की आरक्षित एवं अनारक्षित रिक्तियों के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है।

— विगत पदोन्नति वर्षों में प्रायः यह देखने में आया है कि उच्च-शिक्षा विभाग (कॉलेज शिक्षा विभाग) में मंत्रालयिक संवर्ग के विभिन्न पदों की पदोन्नति (DPC) प्रक्रिया संपादित होने के उपरांत दिए जाने वाले पदस्थापन में काउंसलिंग प्रक्रिया लागू नहीं होने के उपरांत भी कार्मिक हितों पर एकसमान रूप से ध्यान नहीं रखते हुए पदोन्नत कार्मिकों को मंत्रालयिक संवर्ग एवं अन्य संवर्गों के विभिन्न रिक्त पदों के विरुद्ध (पदविरुद्ध) पदस्थापन दिए जाने में कार्मिकों के साथ यथोचित समान व्यवहार नहीं किया जा रहा है। वरिष्ठता सूची में किसी कार्मिक का नाम अपने से कनिष्ठ से उपर होने के उपरांत भी वरिष्ठता सूची में कनिष्ठों/निम्न स्थान वालों को पदविरुद्ध पदस्थापन दिया जा रहा है जबकि वरिष्ठता सूची में वरिष्ठों को अपने मूल गृह जिले से दूर पदस्थापित किया जा रहा है।

2. नियमों का उल्लंघन

— कार्मिक विभाग, राजस्थान के परिपत्र क्रमांक— प. 10(4)कार्मिक/क-2/2023-08017 राजकाज रेफरेंस नम्बर-4342947 दिनांक— 26.08.2023 एवं राजकाज रेफरेंस नम्बर— 14618336 दिनांक— 04.04.2025 के अनुसार 'प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष की 01 अप्रैल की स्थिति में अस्थाई वरिष्ठता सूचियों का प्रकाशन चालू वित्तीय वर्ष की 01 जनवरी को किया जाकर, 01 अप्रैल को अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी करना एवं 31 मई तक पदोन्नति की कार्यवाही पूर्ण करना आवश्यक है' का प्रावधान किया हुआ है। परंतु विभाग (कॉलेज शिक्षा विभाग) में विगत अनेक वर्षों से यह प्रक्रिया निर्धारित समयसीमा के नियमानुसार सम्पन्न नहीं हो रही है।

— पूर्व में भी इसी प्रकार की समान समस्या के संदर्भ में संघ के पत्र क्रमांक — ARUSMA/प्रदेश/राज./2025/25-32 दिनांक — 04.08.2025 के द्वारा विभाग द्वारा विगत पदोन्नति वर्ष — 2025-26 की पदोन्नति प्रक्रिया में देरी किए जाने के क्रम में संघ द्वारा पत्र प्रेषित कर पदोन्नति प्रक्रिया को समय पर नियमानुसार पूर्ण करवाए जाने की माँग की गई थी। जिसके क्रम में संघ के पत्र पर यथावश्यक कार्यवाही कर विभाग द्वारा समय पर त्वरित रूप से पदोन्नति प्रक्रिया संपादित की गई।

अनुरोध

— 2026-27 की मंत्रालयिक संवर्ग की डीपीसी/पदोन्नति प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण कर चयन आदेश जारी किए जाएँ, ताकि कर्मचारियों को नगद लाभ शीघ्र प्राप्त हो सकें।

— भविष्य के लिए डीपीसी हेतु कार्मिक विभाग, राजस्थान द्वारा निर्धारित समयसीमा की समुचित पालना करवाए जाने के साथ ही आगामी वित्तीय वर्षों में डीपीसी प्रक्रिया अप्रैल माह में ही पूर्ण करने के निर्देश जारी किए जाएँ।

— उच्च-शिक्षा विभाग (कॉलेज शिक्षा विभाग) में मंत्रालयिक संवर्ग के विभिन्न पदों की पदोन्नति (DPC) प्रक्रिया संपादित होने से पूर्व पदवार रिक्त पदों का विवरण सार्वजनिक किया जावे। ताकि कार्मिकों को पदोन्नति उपरांत पदस्थापन प्रक्रिया के लिए रिक्त पदों के संदर्भ में स्पष्ट सूचना प्राप्त हो सकें।

— पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उच्च-शिक्षा विभाग (कॉलेज शिक्षा विभाग) के शैक्षणिक संवर्ग के समान ही मंत्रालयिक संवर्ग के विभिन्न पदों की पदोन्नति (DPC) प्रक्रिया संपादित होने के उपरांत पदोन्नति का रोस्टर पंजिका विभागीय वेबसाइट पर जारी कर सार्वजनिक किया जावे।

— भविष्य में उच्च-शिक्षा विभाग (कॉलेज शिक्षा विभाग) में मंत्रालयिक संवर्ग के विभिन्न पदों की पदोन्नति (DPC) प्रक्रिया संपादित होने के उपरांत दिए जाने वाले पदस्थापन में कार्मिकों को रिक्त पदों के विरुद्ध (पदविरुद्ध) पदस्थापन दिए जाने में 'एकरूपता एवं समानता के सिद्धांत' को लागू किया जावे या पदोन्नति उपरांत पदस्थापन की प्रक्रिया के लिए ऑनलाईन काउंसिलिंग पोर्टल का निर्माण कर काउंसिलिंग के माध्यम से पदस्थापन की प्रक्रिया संपादित की जावे ताकि कार्मिकों को पदोन्नति उपरांत पदस्थापन प्रक्रिया में अनावश्यक भेदभाव एवं असंतोष का सामना नहीं करना पड़े।

आपसे अनुरोध है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र कार्रवाई करें और भविष्य में डीपीसी प्रक्रिया को वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही में ही पूर्ण करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने का श्रम करें। आपकी महती कृपा होगी।

आपकी सकारात्मक कार्रवाई की प्रतीक्षा में।

दिनांक:- 13-08-2026

भवदीय



प्रकाश चन्द्र शर्मा

प्रदेशाध्यक्ष, ARUSMA

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक पं. 7(2)कार्मिक/क-2/19

जयपुर, दिनांक: यथा हस्ताक्षर।

1. समस्त अति० मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर सहित)।

परिपत्र

विषय:- रोस्टर पंजिका संधारित किये जाने के सम्बन्ध में।

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 24.02.2020 (कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध) के द्वारा सीधी भर्ती एवं पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर आरक्षण रोस्टर संधारित करने के संबंध में विस्तृत निर्देशक सिद्धान्त निर्गत किये गये हैं।

उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 29.05.2020, 27.07.2020, 27.10.2020 एवं 30.06.2021 द्वारा सभी विभागों को अपने-अपने विभाग में कार्यरत सभी संवर्गों के लिए रोस्टर पंजिकाएँ संधारित कर दिनांक 15.07.2021 तक विभाग के शासन सचिव की ओर से इस आशय का प्रमाण-पत्र कार्मिक विभाग में प्रस्तुत करने हेतु निर्देश प्रसारित किये गये थे। उक्त निर्देशों की पालना नहीं किये जाने पर इस विभाग द्वारा उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं, परंतु कतिपय विभागों द्वारा आदिनांक तक उक्त आशय का प्रमाण-पत्र इस विभाग को प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिन विभागों द्वारा रोस्टर पंजिकाएँ संधारित कर लिंक कार्मिक विभाग को उपलब्ध करवाया गया है उनके परीक्षणोपरान्त यह विदित होता है कि विभागों द्वारा रोस्टर पंजिका निर्धारित प्रारूप में संधारित नहीं की गई है।

अतः सभी नियुक्ति प्राधिकारी/विभागाध्यक्षों को व्यादिष्ट किया जाता है कि कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 24.02.2020 द्वारा निर्धारित प्रारूप में रोस्टर पंजिकाएँ संधारित कर, इस आशय का प्रमाण पत्र कार्मिक विभाग में प्रेषित करने के साथ ही उक्त **रोस्टर पंजिकाओं को विभाग की वेबसाइट पर भी अद्यतन करावें एवं उसका एक लिंक (सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के रोस्टर हेतु एक ही लिंक) कार्मिक विभाग की ई-मेल आई.डी. itcell.dop@rajasthan.gov.in पर भिजवाने का श्रम करें, ताकि उसे कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवाया जा सके।** अद्यतन संधारित रोस्टर पंजिका के अभाव में पदोन्नति/सीधी भर्ती नहीं होने पर इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित विभागाध्यक्ष की होगी।

(अर्चना सिंह)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. सचिव, राज० लोक सेवा आयोग, अजमेर/ सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव गण।
5. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव

RajKaj Ref No.:
22376060



Signed by: Archana
Singh, Secretary To
Government
Date: 2026-06-09
13:52:19 +05:30

v-1.0

11/2026